न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 49/22 (वाद)
GCMS NO. : 2022/106

अनवान

1. श्री कमलचन्द पिता नारायण लाल डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री दलीचन्द पिता सवा डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
2. श्री दिलीप पिता सवा डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
3. श्री खेमराज पिता सवा डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
4. श्री प्रेमचन्द पिता सवा डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
5. श्री जगदीश पिता सवा डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
6. श्री लोगरलाल पिता हीरा डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
7. श्री भगवतीलाल पिता हीरा डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
8. श्री दुदा पिता किशना डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
9. श्री चम्पालाल पिता दुदा डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
10. श्री भोलीराम पिता दुदा डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
11. श्री तुलसीराम पिता जीवा डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
12. श्री पीथालाल पिता जीवा डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
13. श्री मांगीलाल पिता जीवा डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
14. श्री देवीलाल पिता जीवा डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
15. श्री उंकारलाल पिता खेमा डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
16. श्री बालु पिता प्रेमचन्द डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
17. श्री लक्ष्मण पिता प्रेमचन्द डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
18. श्री नारायणलाल पिता भेरा डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
19. भूमिधारी जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता वादी ।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:47 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक : 28.07.2025

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के खातेदारी स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि राजस्व ग्राम भीमल चारणान पटवार हल्का साकरिया खेडी तहसील मावली में खाता संख्या 10 नया अराजी नम्बर 686/651 रकबा 0.8094 हेक्टेयर एवं आराजी संख्या 691/651 रकबा 0.4856 हेक्टेयर किता 2 कुल रकबा 1.2950 हेक्टेयर भूमि स्थित हैं।
2. यह कि उक्त वाद वर्णित आराजी की भूमि पर वादी बतौर खातेदारी हक से काबिज होकर भूमि को उपयोग उपभोग व काश्त करता चला आ रहा है जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा व आधिपत्य नहीं हैं। वादग्रस्त भूमि का वादी रिकार्डेड खातेदार व काश्तकार है जिसमें प्रतिवादीगण का किसी प्रकार से हक हिस्सा आधिपत्य व अधिकार नहीं है लेकिन प्रतिवादीगण संख्या बल में अधिक होने के कारण अपने बाहुबल व भूजबल के आधार पर वादी को उक्त वाद वर्णित आराजी की भूमि से जोर जबरदस्ती व अविधिक तरीके से बेदखल करने की हर समय प्रयास करते है तथा वादी को धमकी देते है कि तुम्हारी उक्त भूमि पर हम कब्जा कर लेंगे तथा तुम्हे भूमि से बेदखल कर देंगे इस भूमि पर उपयोग उपभोग व काश्त नहीं करने देंगे जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं।
3. यह कि दिनांक 16.01.2022 को प्रतिवादीगण हम सलाह होकर वाद वर्णित जायदाद पर आये तथा वादी को मौके से बेदखल करने का असफल प्रयास किया तथा वादी द्वारा मना करने पर वादी के साथ लडाई झगडा व गाली गलोच करने पर उतारू हो गये तथा वादी को धमकी दी कि इस भूमि से तुम्हारे को हम बेदखल कर देंगे तथा वाद वर्णित भूमि पर पक्का निर्माण कार्य बाउण्ड्रीवाल करके रहेंगे। वादी अकेला व्यक्ति होकर प्रतिवादीगण संख्या में अधिक होकर वादी को अपने खातेदारी आधिपत्य की उक्त आराजी की भूमि से गैर कानूनी तरीके से बेदखल करने की एवं पक्का निर्माण कार्य करने व बाउण्ड्रीवाल बनाने की धमकी दे रहे है जबकि वादी वाद वर्णित आराजी की भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जबकि प्रतिवादीगण का उक्त आराजी में किसी प्रकार का कोई विधिक हक हिस्सा व आधिपत्य व अधिकार नहीं हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:47 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार वादी का प्रथम दृष्टया केस होकर सुविधा संतुलन भी वादी के पक्ष में ही है तथा अपूरणीय क्षति भी वादी को ही होने वाली है क्योंकि यदि प्रतिवादीगण वाद वर्णित जायदाद पर किसी तरह से वादी को बेदखल कर देते है या उक्त भूमि को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द कर देते है तो पक्षकारान के मध्य मुकदमा बाजी में गुणात्मक वृद्धि होगी जिसका भारी नुकसान वादी को होगा। ऐसी अवस्था में वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने का कानूनन अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वाद वर्णित आराजी की भूमि पर वादी को शांतिपूर्वक काश्त एवं उपयोग उपभोग करने देवे तथा वादी की खातेदारी अधिकार व आधिपत्य में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करें, ना ही वाद वर्णित आराजी की भूमि में किसी तरह का पक्का या कच्चा निर्माण करें, ना ही बाउण्ड्रीवाल आदि बनावें। यह कार्य प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करे, ना ही अपने नौकर चाकर एजेण्ट उत्तराधिकारी परिवारजन या अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावें।

4. यह कि वाद कारण विरूद्व प्रतिवादीगण दिनांक 16.01.2022 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण हम सलाह होकर वाद वर्णित आराजी की भूमि पर मौके पर आये तथा वादी को बेदखल करने की धमकी दी उसके बाद वाद कारण विरूद्व प्रतिवादीगण लगातार जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वाद पत्र में वर्णित आराजी की भूमि पर वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वादी को उक्त आराजी की भूमि में शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग व काश्त करने देवे तथा वादी के खातेदारी अधिकार व आधिपत्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप एवं किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रतिवादीगण नहीं करे, ना ही किसी तरह की बाउण्ड्रीवाल बनावें, न ही भूमि को खुर्द बुर्द करें, यह कार्य प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करे, ना ही अपने नौकर एजेण्ट उत्तराधिकारी परिवारजन या अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावें तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 18 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रकरण में तनकीयात कायमी की आवश्यकता नहीं होने से साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यवादी के तहत गवाह पी.डब्ल्यू.1 दलीचन्द स्वयं कमलचन्द पिता नारायण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:47 IST
Reason: SelfAttested

लाल का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज मौजा भीमल चारणान की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 की खाता संख्या 10 प्रदर्श 1 करवाए गए। विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

6. हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा भीमलचारणान पटवार हल्का साकरियाखेडी तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 10 पर दर्ज आराजी नम्बर 686/651, 691/651 किता 2 कुल रकबा 1.2950 हैक्टेयर भूमि के संबंध में वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है। जमाबंदी के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि का केवल मात्र वादी रिर्कोडेड एकल खातेदार काश्तकार है एवं उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। न्यायालय का विनम्रतापूर्वक अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार नही है। वादी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रतिवादीगण उसे वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है और मौके पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करना चाहते है। चूंकि वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार वादी है, ऐसे में प्रतिवादीगण को वादी की भूमि में निर्माण कार्य करने एवं वादी को बेदखल करने का कोई अधिकार नही है। न्यायालय यह भी मानना है कि वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है एवं प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही है, ऐसे में प्रथम दृष्टाया मामला वादी के पक्ष में पाया जाता है। यदि प्रतिवादीगण, वादी को बाहुबल से जबरन बेदखल कर देते है या वादी की खातेदार भूमि पर निर्माण कार्य कर देते है तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी एवं काफी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। साथ ही वादी के खातेदारी अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू वादी के पक्ष में साबित होते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:47 IST
Reason: SelfAttested

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा भीमलचारणान पटवार हल्का साकरियाखेडी तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता सं. 10 पर दर्ज आराजी नम्बर 686/651, 691/651 किता 2 कुल रकबा 1.2950 हैक्टेयर भूमि से वादी को बेदखल नही करें, वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य नही करें, वादी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:47 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री कमलचन्द पिता नारायण लाल डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।

............वादी

बनाम्

1. श्री दलीचन्द पिता सवा डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
2. श्री दिलीप पिता सवा डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
3. श्री खेमराज पिता सवा डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
4. श्री प्रेमचन्द पिता सवा डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
5. श्री जगदीश पिता सवा डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
6. श्री लोगरलाल पिता हीरा डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
7. श्री भगवतीलाल पिता हीरा डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
8. श्री दुदा पिता किशना डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
9. श्री चम्पालाल पिता दुदा डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
10. श्री भोलीराम पिता दुदा डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
11. श्री तुलसीराम पिता जीवा डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
12. श्री पीथालाल पिता जीवा डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
13. श्री मांगीलाल पिता जीवा डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
14. श्री देवीलाल पिता जीवा डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
15. श्री उंकारलाल पिता खेमा डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
16. श्री बालु पिता प्रेमचन्द डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
17. श्री लक्ष्मण पिता प्रेमचन्द डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
18. श्री नारायणलाल पिता भेरा डांगी निवासी भीमल चारणान तहसील मावली।
19. भूमिधारी जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं0 : [illegible]22 (वाद)

GCMS No. : 20[illegible]/106

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:47 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा भीमलचारणान पटवार हल्का साकरियाखेडी तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 10 पर दर्ज आराजी नम्बर 686/651, 691/651 किता 2 कुल रकबा 1.2950 हैक्टेयर भूमि से वादी को बेदखल नही करें, वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य नही करें, वादी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.07.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:47 IST
Reason: SelfAttested